

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अतिशिवर जिला क्लेक्टर मुकाम में

रामलाल बनाम रामशिवर

प्र. एन 14(4) नं 30 सन् 2025

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/5/2025	<p>अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण समाअत अदालत एवं पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र 14(4) के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी पेश किया। दर्ज रजिस्टर हों। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1707 में से 0.03 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम उनियाराखुर्द का दिनांक 15.06.2002 को अप्रार्थी संख्या 1 को अवैधानिक तरीके से आवंटन किया गया था, जिसे निरस्त करवाने हेतु प्रकरण पेश किया गया हैं। दौराने निस्तारण प्रकरण अप्रार्थी उक्त आराजी को खुर्द बुर्द कर सकते है जिससे प्रार्थीगण के संपत्ति व संवैधानिक अधिकारों का हनन हो जाएगा। अतः उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश फरमायें जावें।</p> <p>हमने प्रार्थी की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलान्ट के पक्ष में न होने से हम प्रार्थना पत्र स्थगन को खारिज किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावें तथा उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह से आवंटन से संबंधित मिसल तलब कर पत्रावली दिनांक 19.06.2025 को पेश हो।</p>	<p>359-360 3/6/2025 368 3/6/2025</p>

अतिशिवर जिला क्लेक्टर  
दोष